

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या-2053/2010/जयपुर.
2. अपील संख्या-2054/2010/जयपुर.
3. अपील संख्या - 36/2011/जयपुर.
4. अपील संख्या -382/2012/जयपुर.

मैसर्स लक्ष्मी मोटर कम्पनी, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स), प्रथम/द्वितीय, जयपुर.
2. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राज.-तृतीय, जयपुर /
वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-सप्तम्, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 15/01/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपरोक्त चारों अपीलों उपायुक्त (अपील्स), प्रथम/द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित किये गये आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-तृतीय, जयपुर एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-सप्तम्, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों के लिये पारित किये गये आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-

अपील संख्या	अपीलीय अधिकारी का	
	अपील क्रमांक	आदेश दिनांक
1	2	3
2053/2010	23/58/आरवैट/ App-II/08-09/10-11	18.08.2010
2054/2010	22/59/आरवैट/ App-II/08-09/10-11	18.08.2010
36/2011	51/अपील्स-II/आरवीएटी/जयपुर/एच/2010-11	20.12.2010
382/2012	226/अपील्स-II/आरवीएटी/जयपुर/एच/2010-11	17.01.2012


कर निर्धारण अवधि	कर निर्धारण आदेश दिनांक	आरोपित		
		कर	ब्याज	शास्ति
4	5	6	7	8
2006-07 (तृतीय तिमाही)	15.03.2008	2,79,949	41,992	5,59,898
2006-07 (चतुर्थ तिमाही)	15.03.2008	10,12,674	1,23,797	20,25,418
2007-08	13.03.2010	28,05,367	1,16,560	-
2008-09	13.12.2010	7,40,195	270	-

लगातार.....2

2. इन चारों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित समान बिन्दु निहित होने से सभी प्रकरणों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी मोटर वाहन एवं पार्ट्स का विक्रय करता है। आलौच्य अवधियों में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा "Dummy Rear Axle Assembly" का विक्रय 4 प्रतिशत की दर से किया गया, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त माल को 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए तदनुसार 8.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, तदनुसार ब्याज एवं अपील संख्या 2053/2010 व 2054/2010 से सम्बन्धित प्रकरणों में करापवंचन के लिये धारा 61 के तहत शास्ति का भी आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।


4. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा Dummy Rear Axle Assembly का विक्रय किया गया है, जो कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14(IV)(XIV) के तहत एक घोषित वस्तु है, अतः इस पर 4 प्रतिशत की दर से अधिक कर वसूल नहीं किया जा सकता। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम राज एग्रो इण्डस्ट्रीज (1987) 64 एस.टी.सी. 178 के मामले में निर्णीत किया है कि एक्सल पर केवल हब्स और बियरिंग लगा देने से यह भिन्न वस्तु नहीं हो जाती है। कथन किया कि मोटर वाहनों में ब्रेक लगाने के लिए एक्सल पर ड्रम आदि लगाने आवश्यक है। इस प्रकार ड्रम आदि लगाने से एक्सल की प्रकृति नहीं बदलती है। अतः व्यवहारी द्वारा विक्रय किये जाने वाले "Dummy Rear Axle Assmebly" एक्सल ही हैं तथा केन्द्रीय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के तहत घोषित वस्तु है, इसकी बिक्री पर 4 प्रतिशत की दर से अधिक की दर से करारोपण नहीं किया जा सकता है। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा समान प्रकरण अपील संख्या 376/2009 से 380/2009/जयपुर मैसर्स गैलेक्सी ऑटो एक्सल प्रा0 लि0 जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान-तृतीय, जयपुर में पारित किये गये निर्णय दिनांक 20.04.2017 की प्रति प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि माननीय खण्डपीठ द्वारा उक्त उत्पाद पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता होना अवधारित किया गया है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अविधिक होने से अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।



5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।
7. हस्तगत प्रकरणों में विवाद केवलमात्र यह है कि व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल "Dummy Rear Axle Assmebly" केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14(IV)(XIV) की प्रविष्टि 'एक्सल' में ही विहित मानी जावे या नहीं, क्योंकि इस वस्तु को उक्त प्रविष्टि में माना जाने पर कर देयता स्वतः 5 प्रतिशत ही रहेगी। चूंकि इस सम्बन्ध में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 20.04.2017 में इसी "उत्पाद" पर विस्तृत विवेचन करते हुए माननीय खण्डपीठ द्वारा 4 प्रतिशत की करदेयता होना अवधारित किया जा चुका है, जिसके निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

"13. उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत रिकार्ड तथा न्यायिक दृष्टान्तों के परिशीलन किया गया। अपीलार्थी के प्रतिकरापवंचन के कर निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार नहीं होने के संदर्भ में व्यवहारी ने मैसर्स रामबाग पैलेस होटल प्रा.लि. बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (6 एसटीओ 220), मै. डेज मेडिकल स्टोर्स लि. बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन (10 एसटीए पेज 281), मै. डी.के.वूलन इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (1998 टैक्स वर्ल्ड पेज 14) मै. वासुकी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि. बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन (3 एसटीओ पेज 1), मै. होन्डा सिएल पावर प्रोडक्टस लि. बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन (2002) 3 टैक्स अपडेट पेज 320 तथा सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जोन प्रथम, जयपुर बनाम सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स लि. जयपुर के उद्धरण प्रस्तुत कर कहा है कि कररापवंचन शाखा द्वारा अविधिक एवं अनुचित तरीके से क्षेत्राधिकार अर्जित किया है। उक्त समस्त न्यायिक दृष्टान्तों का कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने निर्णय के कॉलम संख्या 12 में विस्तृत उल्लेख करते हुए संबंधित प्रकरण से भिन्न पाया है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर राजस्थान के परिपत्र दिनांक 01.04.1997 में कर में अंतर के प्रकरण में प्रतिकरापवंचन की शाखा का क्षेत्राधिकार निश्चित किया है। अतः क्षेत्राधिकार पर उठाई गई आपत्तियां स्वीकार योग्य नहीं है।

14. अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम राजस्थान एग्रो इण्डस्ट्रीज (1987) 64 एसटीसी 178, माननीय उच्चतम न्यायालय मैसर्स दीवान एन्टरप्राइजेज बनाम बिक्री कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश 102 एसटीसी





384 एवं माननीय उच्च न्यायालय के बिक्री कर आयुक्त बनाम शंकर मोटर्स (1995) 98 एसटीसी 384 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गैलवानाइज्ड स्टील पाईप को धारा 14 के तहत घोषित वस्तु मानने के मैसर्स गुजरात स्टील ट्यूब्स लि. बनाम केरल राज्य का "एक्सल" को केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा (IV)(XIV) के तहत घोषित वस्तु का कथन किया है इस कारण इस पर 4 प्रतिशत की दर से अधिक कर वसूल नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में Noorie Manure Mill Vs Commissioner, Trade Tax, UP (S.C.) [(2007)] 8 VAT Reporter Part-2 page 144] के मामले में निर्णीत किया है कि "For classification of commodities, common parlance test to be applied," माननीय उच्चतम न्यायालय ने Trutuf Safty Glass Industreis Vs Commissioner of Sales Tax, UP (S.C.) [(2007)] 8 VAT Reporter Part - II Page 281] के मामले में निर्णीत किया है कि - Entries in taxation are not to be interpreted based on the scientific meaning of the term or expressions used but they are to be interpreted based on their popular meaning i.e. the meaning attached to them by those dealing in them" माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय (1987) 64 एसटीसी 178 के उक्त निर्णयों के आलोक में यह स्पष्ट है कि Dummy Rear Axle Assembly वस्तुतः एक्सल ही है और 5 प्रतिशत की दर से करयोग्य है। यह केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 (IV)(XIV) में वर्णित एक्सल है तथा 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अतः इस बिन्दु पर व्यवहारी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जाती है।"

8. उक्त निर्णय में राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा इसी उत्पाद पर कर दर से सम्बन्धी निर्णय पारित होने से एवं हस्तगत प्रकरण उक्त निर्णय से पूर्णतया आच्छादित होने से अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत उत्पाद Dummy Rear Axle Assembly पर अनुसूची-IV के अनुसार करदेयता होना अवधारित किया जाता है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 8.5 प्रतिशत की दर से आरोपित अन्तर कर, तदनुसार ब्याज एवं धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया जाता है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों को भी अपास्त किया जाता है।

9. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की चारों अपीलें स्वीकार कर कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त किया जाता है।

10. निर्णय सुनाया गया।


(के. एन. जैन)
सदस्य


(राजीव चौधरी)
सदस्य